कार्यालय निर्वाचन पदाधिकारी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०,
जे० सी० रोड, पटना

Website : www.sbisupercoop.org, Phone : 0612-2677273

(मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाईटीज एक्ट, 2002 की धारा-103 (1) के तहत डीम्ड निबंधित)

पत्रांक–SBICoop/election/2019

दिनांक : 22/08/2019

प्रेषक,

श्याम प्रसाद सिंह
मुख्य निगरानी पदाधिकारी (सेवानिवृत),
बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि०, पटना
–सह–
निर्वाचन पदाधिकारी,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०,
जे० सी० रोड, पटना

महाशय/महाशया

विषय- स्टेट बैंक आफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, की प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन कार्यक्रम में भाग लेने के संबंध में।

स्टेट बैंक आफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, की प्रबंधकारिणी समिति की बैठक दिनांक 12/06/2019 को पारित प्रस्ताव संख्या–03 के अनुसार अद्योहस्ताक्षरी को मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसाईटीज रूल्स, 2002 नियम–19 के अन्तर्गत निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त नियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं श्याम प्रसाद सिंह, निर्वाचन पदाधिकारी, स्टेट बैंक आफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, जे० सी० रोड पटना सूचित करता हूँ कि स्टेट बैंक आफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन दिनांक 28/09/2019 को 08.00 बजे पूर्वाहन से रवीन्द्र भवन, वीरचन्द पटेल पथ, पटना में होना निर्धारित है।

मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसाईटीज एक्ट, 2002 की धारा–103(1) के तहत स्टेट बैंक आफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि०, जे० सी० रोड पटना की सम्प्रति प्रभावी उपविधियाँ की उपविधि–26 के अनुसार प्रबंधकारिणी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और संगठन संचिव सहित कुल 13 सदस्य हैं।

इस प्रकार निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले कुल पदों की संख्या निम्न प्रकार है:–

श्याम

क्रम	पद का नाम	संख्या	अभियुक्ति
1	अध्यक्ष	1	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष और संगठन संचिव के पद निर्वाचित प्रबंधकारिणी सदस्यों के द्वारा उनके बीच से भरे जायेंगे।
2	उपाध्यक्ष	1	
3.	सचिव	1	
4	संयुक्त सचिव	1	
5	कोषाध्यक्ष	1	
6	संगठन संचिव	1	
7	सदस्य, प्रबंधकारिणी	7	
	कुल	13	

मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसाईटीज रूल्स, 2002 के नियम–19 (1) एवं 19 (2) के साथ संलग्न अनुसूची और मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसाईटीज एक्ट, 2002 की धारा–103(1) के प्रावधानानुसार सम्प्रति प्रभावी उपविधियाँ की उपविधि संख्या–26 (बी) के आलोक में पहले कुल 13 प्रबंधकारिणी सदस्यों का निर्वाचन होगा। तत्पश्चात नवनिर्वाचित प्रबंधकारिणी सदस्यों की बैठक में उन्हीं के बीच से उपर्युक्त पदधारकों का निर्वाचन किया जायेगा। एतदर्थ निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किये गए हैं :–

निर्वाचन संबंधी निर्धारित कार्यक्रम

क्रम	कार्यक्रम	तिथि	समय	स्थान
1	मतदाता सूची का प्रकाशन	26.08.2019	11.00 बजे पूर्वाह्न	जे०सी० रोड पटना अवस्थिति समिति कार्यालय के सूचना पट्ट पर एवं समिति के वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगा।
2.	मतदाता सूची पर आपत्ति	28.08.2019	11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.00 बजे अपराह्न तक।	जे० सी० रोड पटना अवस्थित समिति कार्यालय।
3	मतदाता सूची पर आपत्ति का निष्पादन	29.08.2019	11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.00 बजे अपराह्न तक।	जे० सी० रोड पटना अवस्थित समिति कार्यालय।
4.	अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन	30.08.2019	11.00 बजे पूर्वाह्न	जे० सी० रोड पटना अवस्थिति समिति कार्यालय के सूचना पट्ट पर एवं समिति के वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगा।
5	नामांकन की तिथि	02.09.2019	11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.00 बजे अपराह्न तक।	जे० सी० रोड पटना अवस्थित समिति कार्यालय।
6	नामांकन पत्रों की संवीक्षा	03.09.2019	11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.00 बजे अपराह्न तक।	जे० सी० रोड पटना अवस्थित समिति कार्यालय।
7	विधिमान्य नामांकन सूची का प्रकाशन	04.09.2019	05.00 बजे अपराह्न	जे० सी० रोड पटना अवस्थित समिति कार्यालय एवं समिति के वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगा।

श्याम

8	नामांकन वापसी	11.09.2019	11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.00 बजे अपराह्न तक।	जे० सी० रोड पटना अवस्थित समिति कार्यालय।
9	नामांकन वापसी के उपरान्त अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन	11.09.2019	05.00 बजे अपराह्न	जे० सी० रोड पटना अवस्थित समिति कार्यालय एवं समिति के वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगा।
10	**विशेष आम सभा–सह–निर्वाचन** (i) मतदान (यदि आवश्यक हो) (ii) मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा (iii) पदधारकों के निर्वाचन हेतु नवनिर्वाचित प्रबंधकारिणी समिति की बैठक	28.09.2019 8 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक 6.00 बजे अपराह्न से मतगणना समाप्ति तक। प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा के तुरन्त बाद।		रविन्द्र भवन, वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य होने के लिए अनर्हता (Disqualifications)

मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसाईटीज एक्ट की धारा–43 (1) के अनुसार प्रबंधकारिणी समिति का सदस्य होने के लिए निम्नलिखित अनर्हता (Disqualifications) है:–

43(1) किसी बहु–राज्य सहकारी सोसाईटी का कोई सदस्य या राष्ट्रीय सहकारी सोसाईटी की सदस्य सोसाईटी का नाम निर्देशिती (नोमिनी) ऐसी बहु–राज्य सहकारी सोसाईटी या राष्ट्रीय सहकारी सोसाईटी या किसी अन्य ऐसी सहकारी सोसाईटी के जिससे बहु–राज्य सहकारी सोसाईटी सम्बद्ध है, बोर्ड के सदस्य के रूप में चुने जाने का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा सदस्यः–

क) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया या विकृतचित्त (Unsound Mind) न्याय निर्णीत किया गया है;

ख) सोसाईटी के साथ किसी संविदा के लाभों से संबंधित है या उसमें भाग लेते है;

ग) नैतिक अधमता (Moral Turpitude) अंतर्वलित करने वाले किसी अपराध के लिए दोषी (Convicted) ठहराया गया है;

घ) सोसाईटी के अधीन कोई लाभ का पद या हैसियत धारण करता है;
परन्तु मुख्य कार्यपालक या सोसाईटी का ऐसा पूर्णकालिक कर्मचारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए या कोई व्यक्ति, जिसे ऐसी सोसाईटी के कर्मचारी द्वारा ऐसी सोसाईटी के बोर्ड में उनका प्रतिनधित्व करने के लिए निर्वाचित किया गया हो ऐसे बार्ड का सदस्य चुने जाने या होने के लिए पात्र होगाः

ड) ऐसे निर्वाचन या नियुक्ति की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास से कम अवधि के लिए सोसाईटी का सदस्य रहा है;

च) ऐसी सोसाईटी द्वारा जिसका वह सदस्य है किए जाने वाले किसी प्रकार के कारोबार में हित रखता है;

छ) ऐसी सोसाईटी से जिसका वह सदस्य है, उधार लिया है या उधार पर माल लिया है या अन्यथा ऐसी सोसाइटी के प्रति ऋणी है और ऐसी सोसाईटी द्वारा उसको जारी की गई दोषी (डिफाल्ट) की सूची की प्राप्ति के पश्चात उसने;

(i) यथास्थिति, ऐसे उधार या ऋण के प्रतिसंदाय (रिपेमेंट) में या उधार पर लिए गए माल की कीमत के संदाय (पेमेन्ट) में ऐसे प्रतिसंदाय या संदाय (पेमेन्ट) के लिए नियत तारीख के भीतर या जहाँ ऐसी तारीख बढ़ाई गई है, वहाँ बढ़ाई गई तारीख के भीतर, जो किसी भी दशा में छह मास से अधिक नहीं होगी, इस प्रकार बढ़ाई गई तारीख के भीतर व्यक्तिक्रम (डिफाल्ट) किया है; या

श्याम

(ii) जब ऐसा उधार या ऋण या उधार पर लिए गए माल की कीमत किश्तों में संदत्त (पे) की जानी है तब किसी किश्त के संदाय में व्यतिक्रम (डिफाल्ट) किया है और व्यक्तिक्रम (डिफाल्ट) की रकम या उसका कोई भाग उसके ऐसे व्यतिक्रम (डिफाल्ट) की तारीख से छह मास की समाप्ति पर, असंदत्त (अनपेड) रह गया है;

परन्तु प्रबंधकारिणी समिति का कोई ऐसा सदस्य, जो इस खण्ड के अधीन सदस्य के रूप में पद धारण नहीं कर रहा है, उस बहु–राज्य सहकारी सोसाईटी के, जिसका वह सदस्य था, बोर्ड के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचन के लिए या किसी अन्य बहु–राज्य सहकारी सोसाईटी के बोर्ड में निर्वाचन के लिए, तारीख से जिसको वह पद पर नहीं रह गया था एक वर्ष की अवधि के लिए पात्र नहीं होगा;

ज) वह ऐसा व्यक्ति है, जिसके विरूद्व किसी डिक्री, विनिश्चय (डिसिजन) या आदेश के अधीन शोध्य (ड्यू) कोई रकम इस अधिनियम के अधीन वसूली के लिए लंबित है;

झ) किसी बहु–राज्य सहकारी सोसाईटी की ओर से या उसके विरूद्व या ऐसी किसी अन्य बहु–राज्य सहकारी सोसाईटी की, जो पूर्ववर्ती सोसाईटी की सदस्य है, ओर से या उसके विरूद्व विधि व्यवसायी के रूप में रखा गया है या नियोजित है;

स्पष्टीकरण– इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए 'विधि व्यवसायी' का वही अर्थ है जो अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (झ) में है;

ञ) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी (Convict) ठहराया गया है।

मतदाता सदस्यों के लिए सामान्य निर्देशः-

पहचान हेतु मतदाता सदस्य अपने साथ निम्नलिखित अवश्य लावें :

(i) आधार कार्ड (ii) बैंक द्वारा निर्गत आई. कार्ड

अतः स्टेट बैंक आफ इंडिया सुपरवाइजिंग स्टाफ को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि० के मतदाता सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऊपर वर्णित कार्यक्रमानुसार विशेष आमसभा–सह–निर्वाचन कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

नोट : यह निर्वाचन मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 की धारा–45 एवं मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स के नियम 19 और रूल–19(2) के साथ संलग्न अनुसूची में विहित प्रावधानानुसार और मल्टी–स्टेट को–ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 की धारा–103(1) के प्रावधानानुसार सम्प्रति प्रभावी उपविधियों की उपविधि संख्या–26 के आलोक में सम्पादित किया जा रहा है तथा अनुसूची में यथाविहित निर्वाचन से सम्बंधित सूचनाएं समय–समय पर समिति के सूचना पट्ट / वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी।

अतः सभी सदस्य, समिति के सूचनापट्ट / समिति के वेबसाईट www.sbisupercoop.org पर प्रदर्शित सूचनाओं से स्वयं को अद्यतन (Update) करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

श्याम प्रसाद सिंह
22.8'19

(श्याम प्रसाद सिंह)
निर्वाचन पदाधिकारी,
स्टेट बैंक आफ इंडिया
सुपरवाइजिंग स्टाफ को–ऑपरेटिव
क्रेडिट सोसाइटी लि०, जे० सी० रोड, पटना
मोबाईल नम्बर– 7004910976, 9430229907
मेल आई डी – shyamprasadsingh2@gmail.com

नोट : सभी जानकारी समिति के Website : www.sbisupercoop.org पर उपलब्ध है।